न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी — डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
05 / 2024	2024 / 372	02.09.2024	30.10.2024

1. श्रीमती लच्छीबाई पुत्री भैरूलाल जाति कुमावत आयु 51 वर्ष निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमती भवरीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नि मोहनलाल जाति कुमावत आयु 59 वर्ष निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
2. श्री माणकचन्द पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
3. श्री चेनराम पुत्र भैरूलाल जाति कुमावत आयु व्यस्क निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
4. श्रीमती भुरी बाई बेवा भैरूलाल जाति कुमावत आयु व्यस्क वर्ष निवासी मेघवाल मोहल्ला नाराणी तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 05.06.1989 मौजा नाराणी पटवार हल्का नाराणी तहसीलदार छोटीसादड़ी

उपस्थिति :–
1. श्री अरूण कुमार पण्ड्या (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्री धनश्याम मीणा (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3)
3. श्री जगदीश दायमा (रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4)
4. पैरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट संख्या 5)

–: आदेश :– दिनांक 30.10.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 05.06.1989 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नाराणी पटवार हल्का नाराणी तहसीलदार छोटीसादड़ी के पुराना खाता संख्या 31 नवीन खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी संख्या 893 रकबा 0.10 हैक्टर एवं आराजी संख्या 902 रकबा 0.17 हैक्टर तथा आराजी संख्या 904 रकबा 1.27 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 1.54 हैक्टर भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति (श्री भैरूलाल पुत्र चम्पालाल कुमावत) की पैतृक मौरूषी खातेदारी भूमियां रही है। किन्तु श्री कन्हैयालाल पुत्र चम्पालाल की मृत्यु वर्ष 1988 के पश्चात् विरासत से इन्तकाल के दौरान उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम खोला गया जिसमें अपीलार्थियागण (भैरूलाल की जायन्दा पुत्रियों) का नाम छोड़ दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत नाराणी से सजरा खानदान प्रमाण पत्र दिनांक 14.05.2024 को प्राप्त कर अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण के मियाद प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 स्वयं उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 की बाद तामील रिपोर्ट अधिवक्ता श्री जगदीश दायमा उपस्थित रहे।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता एवं उभयपक्ष बहस अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं स्वयं अपीलार्थिया द्वारा अपील में प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार अपने आप को मौरूषी पुरूष मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल की जायन्दा पुत्रियां बताते हुए मृत्तक भैरूलाल की मौरूषी (पैतृक) कृषि भूमियों में अपनी नाम हक हिस्से अनुसार जोड़े जाने की मांग की गई।

इसी क्रम में दौराने बहस उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 स्वयं के द्वारा जरिये अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को अपनी सगी बहिने बताते हुए अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के पिता की मौरूषी भूमियों में अपीलार्थीगण के हक हिस्से अनुसार नाम जोड़े जाने हेतु लिखित अनापत्ति प्रमाण/सहमती पत्र प्रस्तुत करते हुए सरे इजलास स्वीकारोक्ति प्रदान की गई।

इसी क्रम में उपस्थित रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 कि ओर से निवेदन किया कि अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट की परस्पर दो माताएं थी जिसके अनुसार अपीलार्थी संख्या 1, 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या –1 की माता का नाम मांगीबाई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 कि माता रेस्पोडेन्ट संख्या–4 (भूरी बाई) है। उक्तानुसार आपसी बटवारे के आधार पर तत्कालिन समय में नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ था तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में अन्तर है। अतः अपील मियाद बिन्दु पर खारीज की जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अपील एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण मेरिट पर अच्छा होने तथा विवादित नामान्तरकरण विरासतन होने के कारण मियाद बिन्दु पर बाधित नहीं मानते हुए अपील अपीलार्थीगण मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम नाराणी पटवार हल्का नाराणी तहसीलदार छोटीसादड़ी के पुराना खाता संख्या 31 नवीन खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी संख्या 893 रकबा 0.10 हैक्टर एवं आराजी संख्या 902 रकबा 0.17 हैक्टर तथा आराजी संख्या 904 रकबा 1.27 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 1.54 हैक्टर भूमियां वक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 05.06.1989 के दौरान श्री भैरूलाल पिता चम्पालाल कुमावत साकिन नाराणी खातेदार के नाम दर्ज थी तथा भैरूलाल पुत्र चम्पालाल कुमावत की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमियों के विरासत से इन्तकाल के दौरान मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के हक हिस्से में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का नाम समाहित किया जाना दर्शित हुआ किन्तु अपीलार्थियागण का नाम छोड़ा जाना प्रदर्शित होता है। जबकि प्रचलित विधियों अनुसार पिता की सम्पतियों में पुत्रियों का हक अधिकार भी बराबर समाहित माना जाता है। इसी क्रम में उपलब्ध रिकार्ड नकल नामान्तरकरण संख्या 57 सरपंच नाराणी से स्वीकृत दिनांक 20.05.2000 के अनुसार मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के नाम वक्त नामान्तरकरण दर्ज राजस्व ग्राम बसेडीकुण्डाल पटवार हल्का नाराणी की आराजी संख्या 215 रकबा 0.45 हैक्टर एवं आराजी संख्या 216 रकबा 0.33 हैक्टर तथा आराजी संख्या 224 रकबा 1.12 हैक्टर कुल किता 3 सम्पूर्ण रकबा 1.90 हैक्टर अन्तर्गत अपीलार्थीगण एवं

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण का नाम कायम हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना प्रदर्शित हुआ है। अर्थात् अपीलार्थिया संख्या 1 एवं 2 मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल कुमावत् की जायन्दा पुत्रियां होना जाहीर होता है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण की दो माताओं से जायन्दा संतानों के हक हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकरण मियाद बिन्दु पर अच्छा होने से अपील मियाद कण्डोल की जाती है।

किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075—2078 ग्राम नाराणी पटवार हल्का नाराणी पुराना खाता संख्या 31 नवीन खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी संख्या 893, 902, 904 किता 3 रकबा 1.54 हैक्टर भूमियों में अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टगण के मूल पूरूष मृत्तक पिता भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के हक हिस्से में अपीलार्थियागण को छोड़कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री माणकचन्द्र पिता भैरूलाल के पुत्र श्री सुनील का नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के विरासत से इन्तकाल में अपीलार्थीगण के हक हिस्से अनुसार अपीलान्ट का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 05.06.1989 का पुनःरिव्यु किया जाकर विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों में मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के हक हिस्से अनुसार मृत्तक भैरूलाल पुत्र चम्पालाल के वारीसान की विधिवत् जांच करते हुए अवधारित हक हिस्से अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।

(डॉ अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ